राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3259/2025

नेमीचंद कोशी

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. प्रधानाचार्य, राजकयी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मखीदा, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.07.2025
आदेश की दिनांक : 18.07.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित दिनांक 30.06.2025 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मखीदा, बूंदी से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खातोली, कोटा में परिवर्तित कर दिया है, जबकि अपीलार्थी ने शाला दर्पण पोर्टल पर जिला विकल्प नहीं भरा था और अपीलार्थी का स्थानांतरण लगभग 110 किलोमीटर दूर किसी दूरस्थ स्थान पर कर दिया गया था, अपीलार्थी के माता–पिता विभिन्न वृद्धावस्था रोगों से पीड़ित हैं। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 989 पर रखा गया था। (अनुलग्नक–1) आलौच्य आदेश के अनुपालन में, अपीलार्थी को दिनांक 30.06.2025 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त भी कर दिया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी वर्ष 2018 से वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माखीदा, बूंदी में पदस्थ है। (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 11.07.2024 को विज्ञापन जारी किया था, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी एवं स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रत्यर्थी विभाग ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 15.07.2024 से 22.07.2024 तक निर्धारित की थी। (अनुलग्नक–4) उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत अपीलार्थी पात्र होने के कारण अपना आवेदन पत्र दाखिल करके चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुआ। इसके बाद अपीलार्थी परीक्षा में शामिल हुआ और प्रत्यर्थी विभाग ने परिणाम जारी किया, जिसके अनुसार उसे 100 में से 52.75 अंक प्राप्त हुए। (अनुलग्नक–5) इसके बाद

प्रत्यर्थी विभाग ने जिला आवंटन के संबंध में विकल्प भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन भी आमंत्रित किए, जिसके कारण अपीलार्थी ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया क्योंकि उसने कोई पसंदीदा जिला नहीं भरा है। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.2025 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। (अनुलग्नक–8)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मखीदा, बूंदी में में ही कार्यरत रखा जावे या अपीलार्थी को निकटवर्ती स्थान पर पदस्थापना प्रदान की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष